

सूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा-6-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण आबंटन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश-2002) व शासनादेश संख्या-1652 /XII(1)1/15-86(19)/2015 दिनांक 21 सितम्बर 2015, शासनादेश संख्या-1880/XII(1)1/15-86(19)/2015 दिनांक 21 अक्टूबर 2015 तथा शासनादेश संख्या-1950/XII(1)/15-86(19)/2015 दिनांक 03 नवम्बर 2015 के क्रम में जिला हरिद्वार की क्षेत्र पंचायत (खण्ड) खानपुर की स्तम्भ 03 में उल्लेखित ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के निर्वाचन हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ 04 में अंकित श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाता है।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण
1	2	3	4
1	खानपुर	लालचन्दवाला	अ०जा०म०
2	"	कानेवाली रायसिंह	अ०जा०म०
3	"	माडावेला	अ०जा०म०
4	"	करणपुर	अ०जा०
5	"	गोरधनपुर	अ०जा०
6	"	गिद्धवाली	अ०जा०
7	"	तुगलपुर	पि०जा०म०
8	"	चन्द्रपुरी बांगर	पि०जा०म०
9	"	मौ०पुर मथाना	पि०जा०म०
10	"	भारुवाला	पि०जा०म०
11	"	धर्मपुर रूहालकी	पि०जा०म०
12	"	खानपुर	पि०जा०म०
13	"	कलसिया	पि०जा०म०
14	"	मिर्जापुर सादात	पि०जा०
15	"	प्रहलादपुर	पि०जा०
16	"	मिर्जापुर मोहनवाला	पि०जा०
17	"	पौडोवाली	पि०जा०
18	"	अ०रहीमपुर	पि०जा०
19	"	रघुनाथपुर बालावाली	पि०जा०
20	"	सिकन्दरपुर	महिला
21	"	चन्द्रपुरी खादर	महिला
22	"	जोगावाला	अनारक्षित
23	"	दल्लावाला	अनारक्षित

जिला पंचायतराज अधिकारी,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।